न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 1853–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–3–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 425/अपील/2010–11.

---

उदय सिंह आ0 श्री मोहर सिंह आयु वयस्क
निवासी ग्राम सॉची तहसील टप्पा सॉची तहसील व जिला रायसेन

.....आवेदक

**विरूद्ध**

मेहरबान सिंह आ0 श्री भारत सिंह आयु वयस्क
निवासी ग्राम सॉची तहसील टप्पा सॉची तहसील व जिला रायसेन

.....अनावेदक

---

श्री कमलेश चौधरी अभिभाषक, आवेदक
श्री कालूराम प्रजापति अभिभाषक, अनावेदक

---

:: आ दे श ::

**( पारित दिनांक 23 दिसम्बर, 2014)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–3–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उभयपक्ष द्वारा नायब तहसीलदार, सॉची के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत ग्राम कामापार स्थित भूमि सर्वे कमांक 81/2

एवं 88/1 कुल किता 2 रकबा 9.18 एकड़, जो कि उभयपक्ष के शामलाती खाते की भूमि थी के बंटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 46/अ–27/2009–10 दर्ज किया जाकर दिनांक 6–9–2010 को बंटवारा आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–4–2011 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार का आदेश यथावत रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–3–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई एवं निर्देश दिये गये कि पक्षकार चाहे तो पुनः बंटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के दो सर्वे नंबर है और दोनो ही सर्वे नंबरों का रकबा लगभग समान है, अतः उभयपक्ष द्वारा बंटवारे में सहमति दी गई थी कि एक एक सर्वे नंबर की भूमि आवेदक एवं अनावेदक को दे दी जाये । तदनुसार तहसीलदार द्वारा विधिवत बंटवारा आदेश पारित कर आवेदक उदयसिंह को सर्वे कमांक 88/2 रकबा 5 एकड़ भूमि एवं अनावेदक मेहरबान सिंह को सर्वे नंबर 88/1 रकबा 4.18 एकड़ भूमि दी गई है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा वैधानिक एवं न्यायिक आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आवेदक उदयसिंह ने अनावेदक मेहरबान सिंह के साथ छल कपट कर बंटवारा आदेश पारित कराया था, जो विधि विधान के विपरीत था, विधि की मंशा भी है कि शामिल शरीक खाते में भूमि दर्ज हो तो बराबर–बराबर भूमि का बटवारा होता है, जो नहीं किया गया था, इसलिये अपर आयुक्त ने उक्त अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है, और अपर आयुक्त द्वारा आदेश स्पष्ट बोलता हुआ पारित किया गया है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय तहसील में जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था, वह त्रुटिपूर्ण था, अनावेदक मेहरबान सिंह के साथ धोखाधडी की गई है । आवेदन दिनांक 2–8–2010 को पेश हुआ और 6–9–2010 को तहसील न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया, जो संदेह की परिधि के अंतर्गत आता है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा किया गया आदेश दिनांक 4–3–2013 यथावत रखा जावे, जो न्यायोचित है ।

(3) आवेदक उदयसिंह ने अनावेदक मेहरबान सिंह को धोखे में रख कर कुसंगति कर कानून के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय तहसील में आदेश पारित कराया था जो विधि विधान के अनुरूप नहीं था, इसलिये न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, विधि के अनुसार सही है । अपर आयुक्त भोपाल के आदेश के पालन में अधीनस्थ न्यायालय तहसील टप्पा सांची में बटवारे की कार्यवाही चल रही है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील न्यायालय में प्रस्तुत बंटवारा आवेदन पत्र में सफेद स्याही लगाकर संशोधन किया गया है और संशोधन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है । तलवाने में भी सफेद स्याही लगाकर संशोधन किया गया है । इश्तहार एवं फर्द बटान में भी काट पीट की गई है । तहसीलदार के समक्ष दिनांक 6–9–2010 को फर्द बटान प्रस्तुत हुआ हैं और उसी दिन तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित किया गया है । तहसीलदार द्वारा सर्वे नंबर 88/1

का विभाजन किया गया हे और 81/2 के विभाजन के संबंध में आदेश में कोई उल्लेख नहीं है । फर्द बटान पर कोई आपत्ति नहीं बुलाई गई है और सहमती स्वरूप फर्द बटान पर किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है । संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बने बटवारा नियमों में फर्द बटान प्रस्तुत होने पर पक्षकार से आपत्ति मंगाये जाने का प्रावधान है । साथ ही प्रश्नाधीन भूमि की स्थिति, मिट्टी की किस्म, एवं भूमि का बराबर बटवारा किये जाने का भी प्रावधान है, परन्तु उक्त प्रावधानों का तहसीलदार द्वारा कोई पालन नहीं किया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभार्गाय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । अपर आयुक्त के उपरोक्त निष्कर्षो की पुष्टि अभिलेख से होती है, अतः उपरोक्त निष्कर्ष में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा यह निर्देश देने में अवैधानिक कार्यवाही की गई कि पक्षकार चाहे तो पुनः बटवारा का आवेदन प्रस्तुत कर सकते है । कारण संहिता में हुये संशोधन के फलस्वरूप अपर आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही करते हुये साक्ष्य लेकर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में बटवारा आदेश पारित करना चाहिये था । इस कारण अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–3–2013, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–4–2011 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–9–2010 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन कर पर्याप्त अवसर देते हुये संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत बटवारा आदेश पारित करें ।

( स्वदीप सिंह )
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर